Serial No. 41 / 2012.

Eastern Railway

No.CPO/MPP/238/Pt.VII Kolkata , Dated 01.05.2012.

ALL CONCERNED

Sub : Surrendering of higher grade posts.

Ref : Railway Board's letter No. E(MPP)2005/1/54/Vol. III dated 06.03.2007 & letter No. E(MPP)2009/6/8 dated 17.06.2011.

Copy of Railway Board's letter No. E(MPP)2009/6/8 dated 23.03.2012 (RBE. No. 39 / 2012) is appended below for information, guidance & necessary action. Railway Board's earlier dated 06.03.2007 (RBE. No. 32 / 2007) & letter dated 17.06.2011 (RBE. No. 91 / 2011) has already been circulated vide this office Serial No. 35 / 2007 & Serial No. 83 / 2011.

1/5/12

(M.C. Ghosh Dastidar)
Dy. Chief Personnel Officer/NG
for Chief Personnel Officer.

Copy of Railway Board's letter E(MPP)2009/6/8 dated 23.03.2012 (RBE. No. 39 / 2012) addressed to the General Manager (P), All Indian Railways including Production Units.

Sub : Surrendering of higher grade posts.

Board vide their letter No. E(MPP)2005/1/54/Vol.III dated 06.03.2007 (RBE. No. 32 / 2007) have clarified that higher grade posts affecting promotional prospects of the staff are not be surrendered. The same was reiterated vide Board's letter of even number dated 17.06.2011 and it was further advised that whatever surrender of higher grade posts has taken place the railways may create safety category posts as per extant orders as applicable for creation of new posts.

2. In pursuance of the discussions held in the PNM meeting between Railway Board and All India Railway men's Federation (AIRF) on 23rd and 24th February, 2012 it has been decided that instructions issued vide Board's letter dated 17.06.2011 (RBE. No. 91 / 2011) stands withdrawn and wherever higher grade posts have been surrendered after the issue of the letter dated 06.03.2007 (RBE. No. 32 / 2007) and which have led to promotions being adversely affected for staff working in the immediate lower grade (except in case of cadre restructuring) in all situations the higher grade posts may be restored and the post in the lowest recruitment grade from the cadre be surrendered without restoring to seeking difference of money value from the vacancy bank.

3. This is being allowed as a onetime measure. It may also be ensured that in future, while surrendering higher grade posts instructions contained in RBE No. 32 / 2007 are strictly followed without any deviation.

4. This issues with the concurrence of the associate finance of Railway Board.

Sd/-
(Anil Wason)
Dy. Director / MPP
Railway Board.

INDEX No. 1081 : Instructions regarding Surrendering of higher grade posts, it has been decided that instructions issued vide Board's letter dated 17.06.2011 (RBE. No. 91 / 2011) stands withdrawn and wherever higher grade posts have been surrendered after the issue of the letter dated 06.03.2007 (RBE. No. 32 / 2007) and which have led to promotions being adversely affected for staff working in the immediate lower grade (except in case of cadre restructuring) in all situations the higher grade posts may be restored and the post in the lowest recruitment grade from the cadre be surrendered without restoring to seeking difference of money value from the vacancy bank. This is being allowed as a onetime measure.

क्रमांक 41/2012

पूर्व रेलवे

संख्या-सीपीओ/एमपीपी/238/पार्ट-VII

कोलकाता, दिनांक 01/05/2012

सर्व संबंधित,

विषय : उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करना ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्रांक ई(एमपीपी)2005/1/54/वॉल-III दिनांक 06.03.2007
और पत्रांक ई(एमपीपी)2009/6/8 दिनांक 17.06.2011.

रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(एमपीपी)2009/6/8 दिनांक 23.03.2012 (आरबीई सं.39/2012) की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नीचे दी जाती है । रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्तीपत्र दिनांक 06.03.2007 (आरबीई सं.32/2007) और दिनांक 17.06.2011 (आरबीई सं.91/2011) इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 35/2007 और क्रमांक 83/2011 के अंतर्गत पहले ही परिपत्रित कर दिए गए हैं ।

एम.सी. घोष दस्तिदार 1/5/12

(एम. सी. घोष दस्तिदार)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (अराज)
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधक (का) एवं उत्पादन इकाइयों को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(एमपीपी)2009/ 6/8 दिनांक 23.03.2012 (आरबीई सं.39/2012) की प्रतिलिपि :

विषय : उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करना ।

बोर्ड ने अपने 06.03.2007 के पत्रांक ई(एमपीपी)/2005/1/54/वॉल्यूम-III (आरबीई सं.32/2007) के तहत यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी संभावनाओं को प्रभावित करने वाले उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर नहीं किया जाना है । इन्हें बोर्ड के दिनांक 17.06.2011 के समसंख्यक पत्र द्वारा दोहराया गया था और यह सूचित किया गया था कि उच्चतर ग्रेड के जो भी पद सरेंडर किए गए हों, रेलें नए पदों के सृजन के लिए यथा लागू मौजूदा आदेशों के अनुसार संरक्षा कोटि के पदों को सृजित कर सकती हैं ।

23 और 24 फरवरी/2012 को रेलवे बोर्ड और ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के बीच आयोजित पीएनएम बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 17.06.2011 के पत्र (आरबीई सं. 91/2011) के तहत जारी अनुदेशों को वापस लिया जाता है और दिनांक 06.03.2007 का पत्र (आरबीई सं32/2007) जारी होने के बाद जहां-कहीं भी उच्चतर ग्रेड के पद सरेंडर किए गए हैं और जिनसे एकदम उससे निम्नतर ग्रेड (कैडर पुनर्संरचना के मामले को छोड़कर) में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो सभी स्थितियों में उच्चतर ग्रेड के पदों को बहाल किया जाए और कैडर के निम्नतम भर्ती ग्रेड के पद को वैकेंसी बैंक से मनी वैल्यू के अंतर की माँग किए बिना सरेंडर किया जाय ।

3. इसकी एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी जा रही है । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करते समय आरबीई सं.32/2007 में उल्लिखित अनुदेशों का बिना किसी परिवर्तन के कड़ाई से पालन किया जाता है ।

4. इसे रेलवे बोर्ड के सह वित्त की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

सूचकांक 1081 : उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर किए जाने के संबंध में अनुदेश, यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 17.06.2011 का पत्र (आरबीई सं.91/2011) के तहत जारी अनुदेशों को वापस लिया जाता है और दिनांक 06.03.2007 का पत्रांक (आरबीई सं.32/2007) जारी होने के बाद जहां कहीं भी उच्चतर ग्रेड के पद सरेंडर किए गए हैं और ज़िनसे एकदम उससे निम्नतर ग्रेड (कैडर पुनर्संरचना के मामले को छोड़कर) में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो सभी स्थितियों में उच्चतर ग्रेड के पदों को बहाल किया जाए और कैडर के निम्नतम भर्ती ग्रेड के पद को वैकेंसी बैंक से मनी वैल्यू के अंतर की मांग किए बिना सरेंडर किया जाए ।